न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—527/2022
दाउदनगर थाना कांड संख्या :—259/2022

19.05.2022 काराधीन अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है । आवेदक के द्वारा वाहन प्रदूषण जॉच का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक सर्वथा निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । सूचक के द्वारा किया गया प्राथमिकी बिल्कुल बनावटी, तथ्यहीन एवं न्याय से परे है। आवेदक के नाम से प्रदूषण जॉच का लाईसेंस है जो दिनांक—27.04.2023 तक वैध है। आवेदक का वाहन निवंधन संख्या—BR26PA7419 है और उक्त वाहन में ही प्रदूषण सम्बन्धी अन्य उपकरण है । आवेदक के विरूद्ध जबरन रोककर प्रदूषण का रसीद काटने की शिकायत प्राथमिकी में किसी भी व्यक्ति ने नही की है । सूचक को आवेदक बोले कि उसके पास प्रदूषण जॉच सम्बन्धी लाईसेंस है और लाईसेंस की छायाप्रति दिया लेकिन पुलिस पदाधिकारी बाजबरदस्ती आवेदक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है । आवेदक दिनांक—18.05.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा 384, 419, 420, 467, 468, 474 एवं 120(B) भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक—17.05.2022 को समय करीब सात बजे अकबरपुर के पास एन.एच. 139 पर उक्त अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रंगदारी, षड्यंत्र, साठ—गाठ, जालसाजी कर सड.क पर आने—जाने वाले वाहनो के चालको से बल पूर्वक पैसा वसूली कर फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा था, जिसे पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के तहत गिरफ्तार किया गया है । आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है । जप्ती सूची अभिलेख पर है, जिसमें आवेदक के पास से बरामद सामग्री का जिक है । आवेदक को घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान जारी है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ तथा आरोपित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।